भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 276410

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	बिजनौर
3.	ग्राम	:	हसनपुर खेवली
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या– 78, 114
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.2435 हेक्टेयर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 276411

A.D.O.(T.) TRY.LKO.

-2-

7. पेड़ों का मूल्यांकन : नहीं

8. बोरिंग/कुआं/अन्य : नहीं

9. प्रतिफल की धनराशि : रू0 5,77,095/-

10. मालियत : रू0 3,34,813/-

11. स्टाम्प : रू0 57,800/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 310167

<u>खसरा न० 114</u>

पूरब	: खसरा संख्या–90
पश्चिम	: खसरा संख्या–116
उत्तर	: खसरा संख्या–113
दक्षिण	: खसरा संख्या–115

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 0 1991T

6 FEB 2

प्रथम पक्ष की संख्या–03 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
(1) श्रीराम (2) भगौती प्रसाद व (3) छोटेलाल पुत्रगण छोटे, निवासीगण –ग्राम हसनपुर	:	मान्ती कुमार रावत पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत निवासी– ग्राम रतियामऊ, गोसाईंगंज,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 399108

खेवली, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	लखनऊ। व्यवसाय – कृषि

<u>विक्रय विलेख</u>

यह विक्रय विलेख (1) श्रीराम (2) भगौती प्रसाद व (3) छोटेलाल पुत्रगण छेदे, निवासीगण –ग्राम हसनपुर खेवली,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 19911

परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् क्रान्ती कुमार रावत पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत निवासी–ग्राम रतियामऊ, गोसाईगंज, लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 19911

6 FEB 2007

A.T.O.T.G.
TRY.LKO.

- ६ -

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या–78 रकबा 0.139 हेक्टेयर, खसरा संख्या–114 रकबा 0.348 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल दो किता कुल रकबा 0.487 हेक्टेयर का आधा भाग यानि 0.2435

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4 263747

हेक्टेयर, स्थित-ग्राम- हसनपुर खेवली, परगना- बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, की मालिक, काबिज व दाखिल हैं तथा उपरोक्त सत्यापित कम्प्यूटरीकृत खाता खतौनी क्रम संख्या 00187 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अंकन इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 261746

-10-

मालिक, काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19 JAN 2007

A.T.O(T), TRY.LKO.

करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु० 5,77,095/- (रुपया पांच लाख सतहत्तर हजार पन्चानबे मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता नहीं स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कराई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मस्तूली करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 265044

के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, क्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खेवली अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 13,75,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.2435 हेक्टेयर की मालियत रू0 3,34,813/- होता है, चूंकि निर्धारित तात्कालिक व्यवस्था के विरुद्ध विक्रय के मुताबिक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 4 625978

[redacted]- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू० 57,900/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि मे कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 की अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर

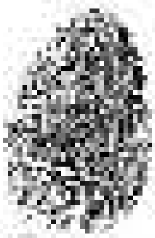

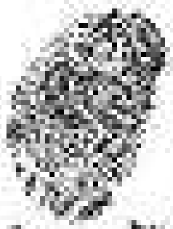

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 623977

से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

<u>परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण</u>

खसरा संख्या- -78 रकबा 0.139हेक्टेयर, खसरा संख्या-114 रकबा0.348 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल दो किता व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 628976

कुल रकबा 0.487 हेक्टेअर में से अपना भाग 0.2436 हेक्टेअर, स्थित ग्राम- हसनपुर खेवली, परगना- बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ,।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रु0 5,77,095/- (रुपया पाँच लाख सतहत्तर हजार पन्चानबे ------मात्र) द्वारा चैक संख्या क्रमशः [illegible] दिनांकित 05.03.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

500 रु   भारत   Rs 500

पांच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

4 FEB 2007

इस प्रकार मूल विक्रय मूल्य रु0 5,77,005/- (रुपया

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

पाँच लाख सत्तहत्तर हजार पन्चानवे मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता प्राप्त

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 184214

हैं। पृष्ठ संख्या-17 पर चेक संख्याएं व दिनांक पेन से लिखी हुई हैं।

लखनऊ

दिनांक: 08.02.2007

गवाह

1.

2.

विक्रेतागण

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अन्वार हुसैन)

एडवोकेट

[illegible]

[illegible]

उप निबन्धक (प्रथम)

[illegible]

₹. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

नोट: पृष्ठ संख्या–14 की अंतिम पंक्ति व पृष्ठ संख्या–15 की प्रथम पंक्ति के शब्द 'होती है' से पहले चार शब्द कटे हुए

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

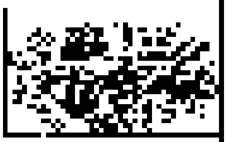

[illegible]

उप निबंधक (प्रथम)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

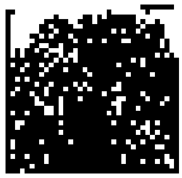

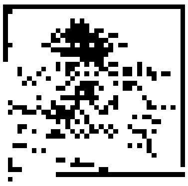

[illegible]

[illegible]

...स्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता:- [illegible] पुत्र [illegible], निवासी -ग्राम [illegible] [illegible], परगना-बिजनौर, तहसील व जिला बिजनौर बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

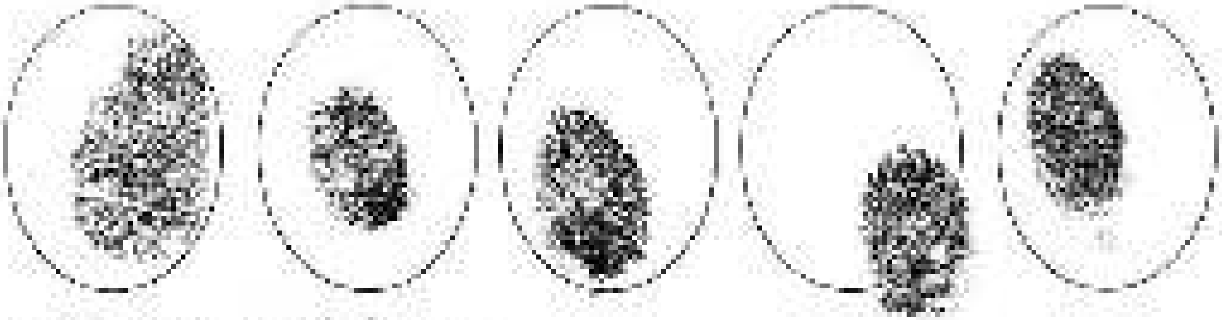

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

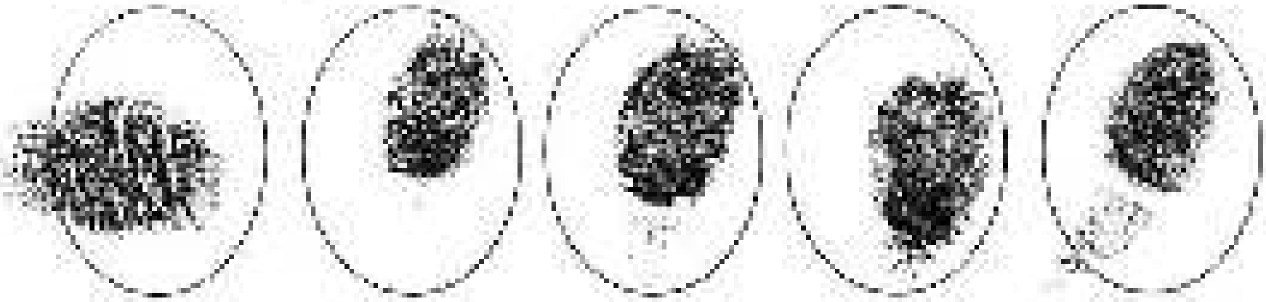

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता [illegible] हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता का नाम व पता:- [illegible] प्रसाद पुत्र [illegible], निवासी -[illegible] [illegible], परगना-बिजनौर, तहसील व जिला बिजनौर बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

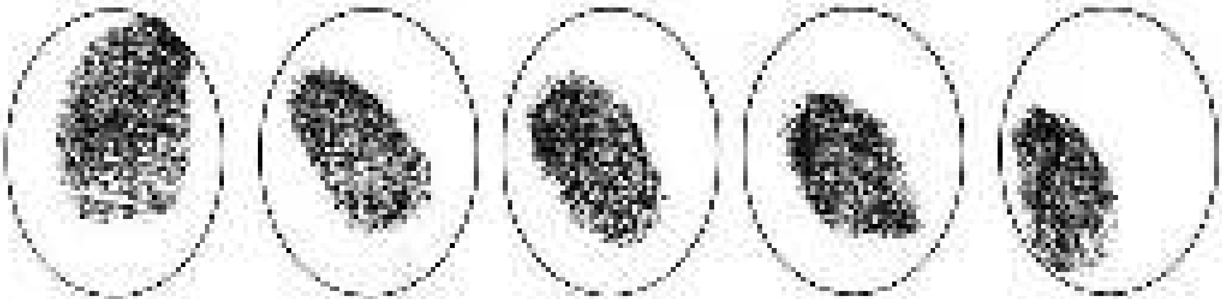

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

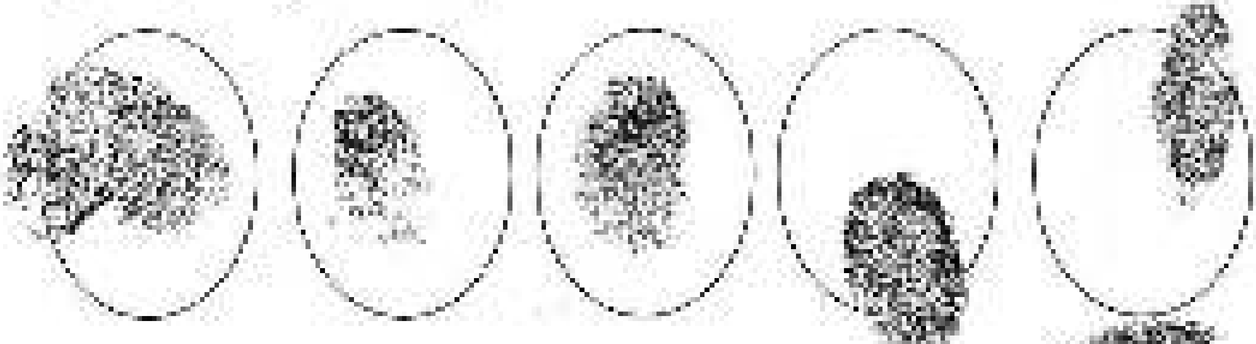

प्रस्तुतकर्ता/[illegible] हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No [illegible] Year : 2007 Book No

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0102 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0103 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

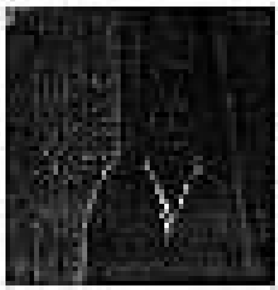

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए. के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता:- [illegible] पुत्र [illegible], निवासी –ग्राम [illegible], परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

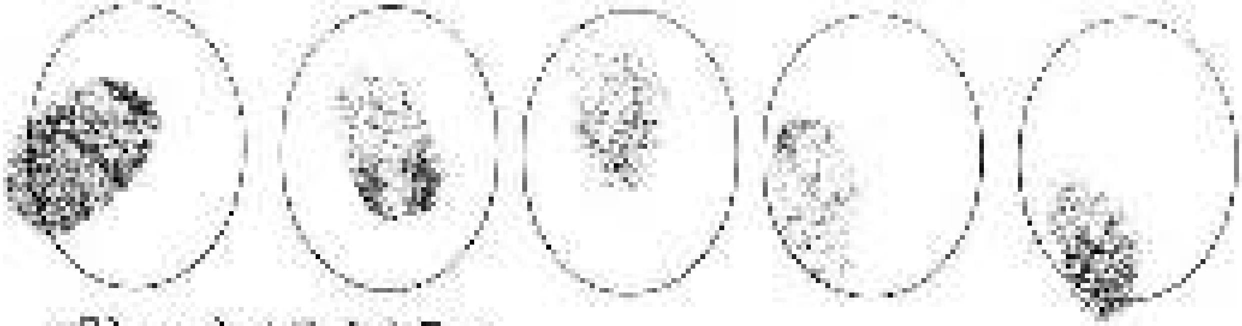

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

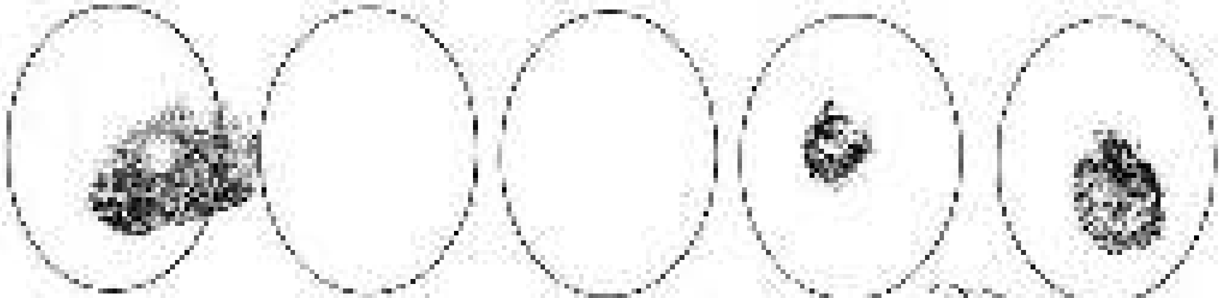

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता /क्रेता का हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता का नाम व पता:- [illegible] कुमार रावत पुत्र श्री [illegible] प्रसाद रावत निवासी-ग्राम [illegible], गोसाईंगंज, लखनऊ बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

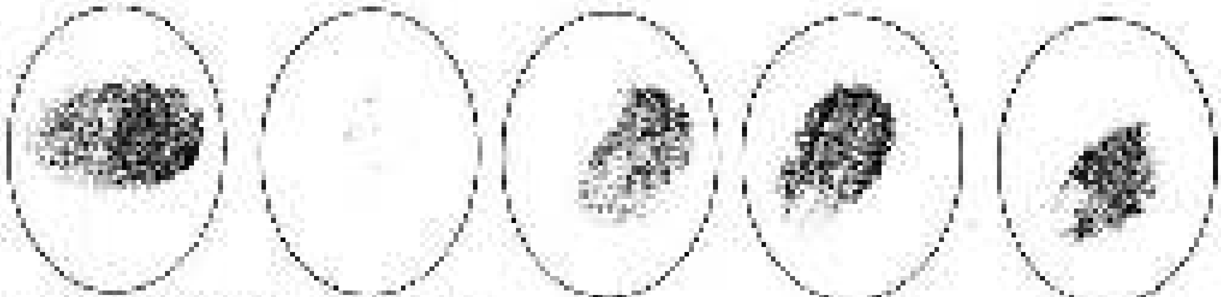

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

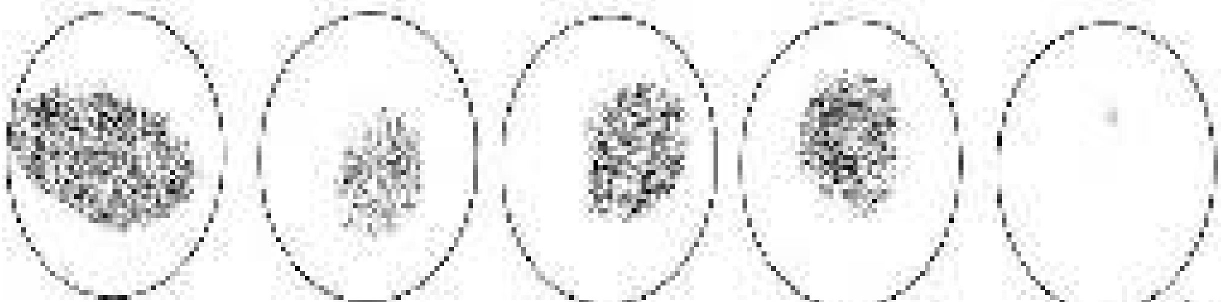

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता का हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No. [illegible] Year: [illegible] Book No. 1

[illegible] [illegible]

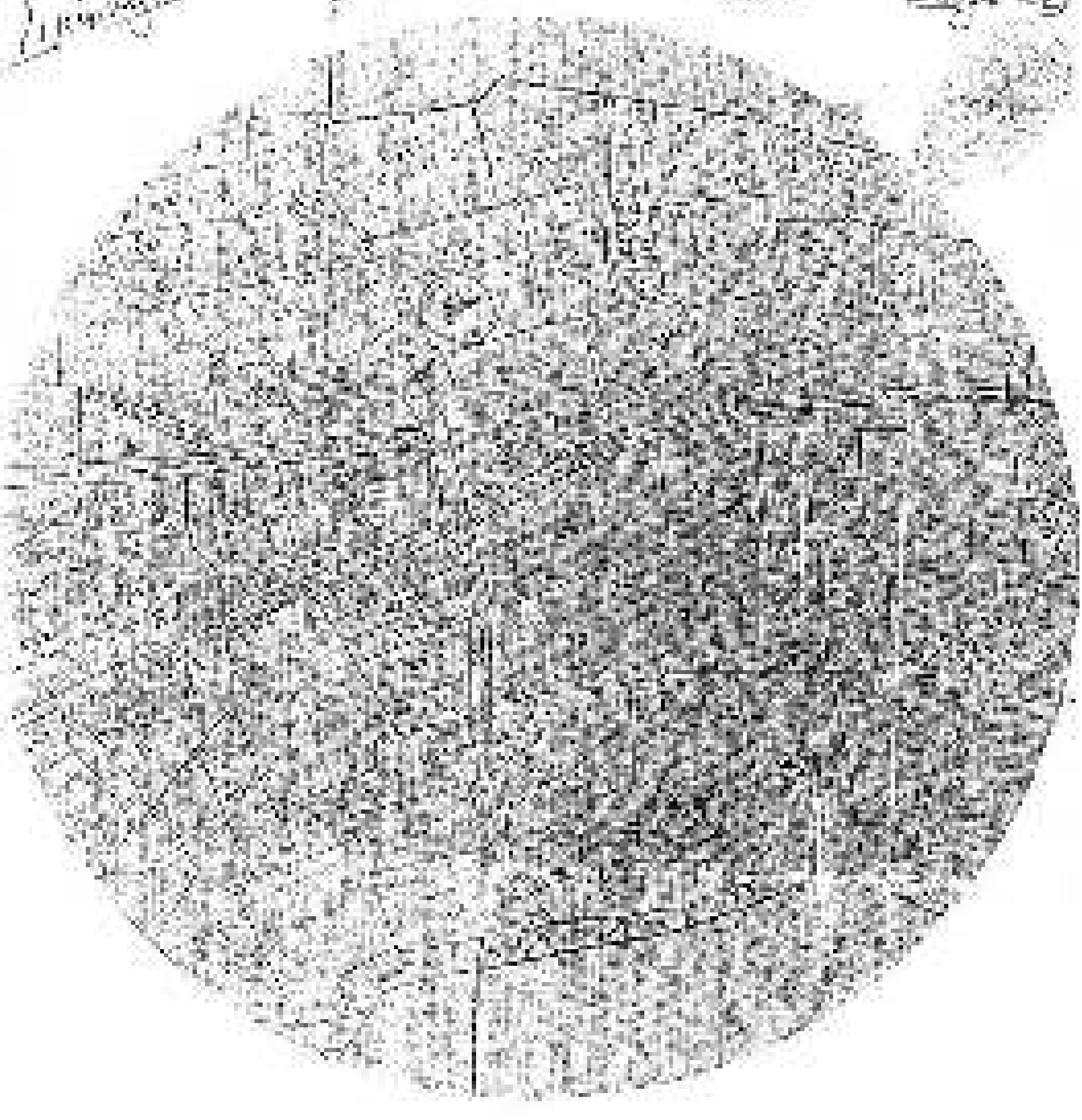

आज दिनांक 08/02/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8107

पृष्ठ सं 361 से 408 पर क्रमांक 1332

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

राकेश शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
8/2/2007